राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 02/2020

रामोतार सिंह पुत्र नाथू सिह जाति राजपूत निवासी ढाणी कोठी की तन् जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.......आवेदक

<u>ब–ना–म</u>

1. अजय सिंह पुत्र सुगन सिंह
2. रविन्द्र सिंह पुत्र सुगन सिंह
3. विजय सिंह पुत्र सुगन सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी कोठी ग्राम जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
4. अनिता कंवर पुत्री सुगन सिंह पत्नी रामस्वरूप सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी बाढान तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
5. मन्जू कंवर पुत्री सुगन सिंह पत्नी गोविन्द सिंह राजपूत निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
6. सुनिता कंवर पुत्री सुगन सिंह पत्नी विक्रम सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी बाढान तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
7. उगम कंवर पत्नी सुगन सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी कोठी ग्राम जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
8. अंगूरी बाई पुत्री सांवत सिंह पत्नी विक्रम सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी बाढान तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
9. संतोष बाई पुत्री सांवत सिंह पत्नी महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी बाढान तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
10. जगजीत सिंह पुत्र सांवत सिंह
11. नरेन्द्र सिंह पुत्र सांवत सिंह
12. सरस्वती देवी पत्नी सांवत सिंह
13. कुलदीप सिंह पुत्र सुरेश सिंह
14. संदीप सिंह पुत्र सुरेश सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी कोठी ग्राम जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
15. ममता बाई पुत्री सुरेश सिंह पत्नी सोनू सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सतनाली
16. संतोष देवी पत्नी सुरेश सिंह
17. रतनलाल पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी कोठी ग्राम जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.04.30 16:20:56 IST
Reason: SelfAttested

...अनावेदकगण

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत रास्ता चाहने

निर्णय **दिनांक 30–03–2021**

यह आवेदन पत्र आवेदक की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम जसरापुर तहसील खेतड़ी स्थित जमाबंदी संवत् 2073 लगायत 2076 के खाता सं. 515 खसरा नंबर 1265 रकबा 1.41 है. का प्रार्थी संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है और मौके पर अपने 40/141 हिस्से पर काबिज काश्त है। ग्राम जसरापुर तहसील खेतड़ी स्थित जमाबंदी संवत् 2073 लगायत 2076 के खाता सं. 656 खसरा नंबर 1264 रकबा 1.10 है. भूमि के अप्रार्थी सं. 1 लगायत 17 संयुक्त खातेदार दर्ज हैं। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख.नं. 1265 में आने जाने के लिए एक रास्ता लोयल से जसरापुर के पहाड़ की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते से फटकर अप्रार्थी सं. 1 लगायत 17 की खातेदारी भूमि ख.नं. 1264 की उत्तरी मेड़/सीमा के सहारे–सहारे कदीम से आता जाता रहा है। उक्त रास्ता ही प्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 1265 में पहुंचने के लिए मौजूद है। इसके अलावा प्रार्थी के पास आने जाने व साधन लाने ले जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इस कारण कानून के अनुसार ख.नं. 1264 की उत्तरी मेड/सीमा के सहारे–सहारे 10 फुट चौड़ा रास्ता प्राप्त करने के लिए यह आवेदन पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 251–क के अनुसार प्रतिकर देने के लिये तैयार व तत्पर है।

अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम जसरापुर तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी संवत् 2073 लगायत 2076 के खाता सं. 515 खसरा नंबर 1265 रकबा 1.41 है. में प्रार्थी के हिस्से की भूमि में जाने के लिये अप्रार्थी सं. 1 लगायत 17 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1264 रकबा 1.10 है. की उत्तरी मेड के सहारे–सहारे 10 फुट चौड़ाई में रास्ता दिलवाया जाकर उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर नक्शा तरमीम किया जावे। उक्त रकबा के लिये धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राशि निर्धारित कर उसके खातेदारों को दिलाये जाने की कृपा करें।

आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अनावेदकगण को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अनावेदकगण सं. 1 लगायत 17 बावजूद सम्यक् सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार, खेतड़ी से विवादित भूमि के सम्बंध में मौका व राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांकः राजस्व/2020/229 दिनांक 02.02.2021 से निम्नानुसार बिन्दुवार रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि :–

1. आवेदक को प्रस्तावित रास्ते की आवश्यकता आत्यांतिक है क्योंकि आवेदक को अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचलने के लिए अन्य कोई रास्ता चालू नहीं है।
2. प्रस्तावित रास्ता ए से बी की लम्बाई 72 मीटर है इससे कम दूरी का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।
3. प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि का क्षेत्रफल 648 वर्गमीटर है। वर्तमान डी.एल.सी. दर राशि रू. 66410/– [illegible] राशि रू. 132820/– का प्रतिकर बनता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.04.30 16:20:56 IST
Reason: SelfAttested

बहस विद्वान अधिवक्ता [illegible] पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तह[illegible] भू अभिलेख निरीक्षक वृत जसरापुर का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। [illegible]सीलदार, खेतड़ी की रिपोर्ट अनुसार आवेदक को रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है। आवेदक को अपनी खातेदारी भूमि तक

Rj4
उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनूं)

पहुंचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू नहीं है। आवेदक को खसरा नंबर 1265 में पहुंचने हेतु अनावेदकगण सं. 1 लगायत 17 की भूमि खसरा नंबर 1264 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे 72 मीटर लम्बाई में प्रस्तावित रास्ता लघुत्तम है। प्रस्तावित रास्तें में आनी वाली भूमि का क्षेत्रफल 648 बनता है। अतः आवेदक का आवेदन पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के प्रावधानों की पूर्ति करता है, इसलिए आवेदक का आवेदन अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम जसरापुर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 1265 रकबा 1.41 है. में जाने के लिए अनावेदकगण सं. 1 लगायत 17 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1264 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे पुख्ता आम रास्ता खसरा नंबर 1265 तक नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से अंकितानुसार कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। चूंकि पक्षकारान प्रतिकार की रकम पर आपस में सहमत नहीं हुए है। अतः उक्त प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान DLC की दर से 648 वर्गमीटर भूमि की कीमत 66410 रू. होती है जिसकी दुगुनी राशि 132820/–रू. अक्षरे एक लाख बत्तीस हजार आठ सौ बीस रूपये आवेदक तहसीलदार, खेतड़ी के समक्ष जमा करवायेंगे। तहसीलदार, खेतड़ी खसरा नंबर 1264 के खातेदारों को प्रतिकार की रकम राशि रू. 132820/– अक्षरे एक लाख बत्तीस हजार आठ सौ बीस रूपये अनावेदक को नियमानुसार अदा करें। तद्नुसार भूमि खसरा नंबर 1264 के रकबे में से रास्ते की भूमि निर्वापित कर रिकार्ड में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित करें।

यह निर्णय आज दिनांक 30–03–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.04.30 16:20:56 IST
Reason: SelfAttested